

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1800  
जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है  
भारतमाला परियोजना का प्रभाव

1800. श्री अजय भट्ट:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही भारतमाला परियोजना के उद्देश्यों को देश में किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;
- (ख) क्या सरकार ने देश में सीमा और तटीय सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर उक्त परियोजना के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उक्त परियोजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
- (घ) इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) भारत सरकार ने 5.35 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के भीतर 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली भारतमाला परियोजना को मंजूरी दे दी थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारे, फीडर रूट, राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता, तटीय और बंदरगाह संपर्कता सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ-साथ एनएचडीपी परियोजना के अवशेष कार्य के माध्यम से देश में संपर्कता में सुधार और रसद(लॉजिस्टिक) लागत को कम करना है। दिनांक 31.10.2024 तक, कुल 26,425 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और 18,714 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। आईआईएम बैंगलोर को कार्यक्रम के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया है। अध्ययन प्रगति पर है।

(ग) और (घ) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक परियोजना के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है और कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा अनुबंध समझौते और मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर परियोजना कार्यान्वयन में अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को प्रभावित करती हैं, जिसके निर्माण-पूर्व कार्यकलापों में देरी, ठेकेदारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयाँ, अप्रत्याशित घटनाएँ और निर्माण सामग्री की कमी आदि शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने और परियोजना निष्पादन में तेज़ी लाने के लिए, सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज़ करना, वन और पर्यावरण मंजूरी को तेज़ करने के लिए परिवेश पोर्टल को नया रूप देना, रेलवे से आरओबी/आरयूबी के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन मंजूरी को सक्षम करना और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है।

\*\*\*\*\*